न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलेक्टर

पीठासीन अधिकारी :–संजय कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–014/2020

1. दौलतराम पुत्र स्व0 नन्दुमल जाति सिन्धी निवासी श्रीगंगानगर जरिये मुखत्यार खास शंकरलाल पुत्र लेखराम जाति सिन्धी निवासी हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. चेतनदास उर्फ मिर्चुमल पुत्र स्व0 नन्दुमल जाति सिन्धी निवासी श्रीगंगानगर जरिये मुखत्यार खास शंकरलाल पुत्र लेखराम जाति सिन्धी निवासी हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. किशनचन्द्र पुत्र स्व0 नन्दुमल जाति सिन्धी निवासी श्रीगंगानगर जरिये मुखत्यार खास शंकरलाल पुत्र लेखराम जाति सिन्धी निवासी हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. रामचन्द्र पुत्र स्व0 नन्दुमल जाति सिन्धी निवासी श्रीगंगानगर जरिये मुखत्यार खास शंकरलाल पुत्र लेखराम जाति सिन्धी निवासी हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. पुरूषोतम पुत्र स्व0 नन्दुमल जाति सिन्धी निवासी श्रीगंगानगर जरिये मुखत्यार खास शंकरलाल पुत्र लेखराम जाति सिन्धी निवासी हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. श्रीमती चन्द्रादेवी पत्नी श्री जयकिशन जाति सिन्धी निवासी बालोतरा हाल निवासी चौपासनी रोड जोधपुर जरिये मुखत्यार खास शंकरलाल पुत्र लेखराम जाति सिन्धी निवासी हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।

– – वादी

बनाम

1. गुरदेवसिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. मनजीतकौर पुत्र पत्नी गुरमेलसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाडाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. प्रगटसिंह पुत्र समुद्रसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाडाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– –प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.02 11:04:05 IST
Reason: SelfAttested

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट घोषणा

उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता – – वादी
2. श्री करनैलसिंह अधिवक्ता – – प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :–12.6.024

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर

Scanned with CamScanner

वादी दौलतराम आदि ने प्रतिवादीया के विरूद्व यह दावा बाबत बेदखली के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि वादीगण के पिता नन्दुमल के नाम से चक नम्बर 4 टी.एल. डबल्यू के खाता संख्या 73/74 जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 में पत्थर नम्बर 231/285(15) किला नम्बर 6/2/0.190, 7/0.253 8/2/0.190, 11/0.152, 12/0.253, पत्थर नम्बर 235/287(21) किला नम्बर 5/0.227 कुल 1.265 हैक्टर आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद–पत्र है।

वादीगण संख्या 1 ता 6 द्वारा मुखत्यार खास शंकरलाल के पक्ष में मुखत्यारनामा खास निष्पादित करवाया हुआ है जो आज भी प्रभाव में है। इसलिएं वाद जरिये मुखत्यारखास की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिलिपि मुखत्यार खास संलग्न वाद–पत्र है।

वाद–पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी पर वादीगण अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे। वादीगण की आराजी टिब्बी तहसील में है तथा वादीगण श्रीगंगानगर में निवास करते है जिस कारण वादीगण अपनी भूमि को बार बार सम्भालने के यहां नही आ सकते थे। जिस कारण वादीगण द्वारा अपनी भूमि जरिये मुखत्यार खास हिस्सा ठेका पर देकर काश्त करवाते थे।

वादीगण द्वारा अपनी चक नम्बर 4 टी.एल.डबल्यू के पत्थर नम्बर 231/285(15) किला नम्बर 6/2/0.190, 7/0.253, 8/2/0.190 हैक्टर भूमि पिछले 2–3 वर्षो से प्रतिवादीगण को ठेका पर दी हुई थी। उक्त भूमि की ठेका की राशि वादीगण को प्रतिवादीगण अदा करते चले आ रहे थे। लेकिन अब प्रतिवादीगण से वादीगण द्वारा ठेका राशि की मांग की गई तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हमारे पास कोई ठेका राशि नही है और ना ही हम उक्त जमीन का कब्जा आपको देगें उक्त भूमि को हम ही काश्त करेगे। प्रतिवादीगण ने अब उक्त भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। उक्त भूमि वादीगण के पिता के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जो उनकी खातेदारी भूमि है। अतः वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को दिलवाये जाने का अनुतोष चाहा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को ग्राम तलवाडा में निवेदन किया कि वादीगण की भूमि का कब्जा वादीगण को सौपने का निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण ऐसा करने से इन्कार हो गये, बस यही बिनाय दावा है।

वादी का वाद पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है व अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है। लिहाजा वाद पेश कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषित किया जावे कि वादीगण की भूमि वाके चक नम्बर 4 टी.एल.डबल्यू के पत्थर नम्बर 231/285(15) किला नम्बर 6/2/0.190, 7/0.253, 8/2/0.190 हैक्टर कृषि भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे व मिन्स प्रोफिट प्रतिवर्ष प्रति बीघा 20,000 रुपये के हिसाब से तायोम प्राप्ती कब्जा वादीगण को दिलाया जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष बहक वादी हो तो अता फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.02 11:04:05 IST
Reason: SelfAttested

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र प्रस्तुत होने पर सरिस्ता की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा सहमति का जवाबदावा पेश कर निवेदन किया कि नन्दुमल के नाम से चक 4 टी.एल.डबल्यू के

उपखण्ड [illegible] एवं
पदेन सहायक कलेक्टर

Scanned with CamScanner

खाता 73/74 जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 में पत्थर नम्बर 231/285(15) किला नम्बर 6/2/0.190, 7/0.253 8/2/0.190, 11/0.152, 12/0.253, पत्थर नम्बर 235/287(21) किला नम्बर 5/0.227 कुल 1.265 हैक्टर आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

वाद-पत्र की दफा 4 व 5 के तथ्य मनगढत, गलत एवं वि/। विरूद्व है। काउन्टर क्लेम की दफा 2 में वर्णित आराजी मे से चक नम्बर 4 टी.एल.डबल्यू के पत्थर नम्बर 231/285(15) किला नम्बर 6/2/0.190, 7/0.253, 8/2/0.190 हैक्टर भूमि हम प्रतिवादीगण काउन्टर क्लेम कर्ता के कब्जा कारत में ब0हि0ब0 चली आ रही है व हमारे द्वारा काउन्टरक्लेम की दफा हाजा मे वर्णित आराजी की रकमराज जमा करवाई जा रही है। नन्दूमल का देहान्त हो चुका है। वादीगण जो कि नन्दुमल के जायज व कानूनी वारीसान है। उपरोक्त आराजी हम प्रतिवादीगण के कब्जा करत में पिछले 15-20 सालो से चली आ रही है। लेकिन उक्त आराजी हम काउन्टर क्लेम कर्ता के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नही होने से हमारे खातेदारी अधिकारों का हनन होता है। इसलिए काउन्टर क्लेम कर्ता घोषणा इस आशय की प्राप्त करने अधिकारी है कि चक नम्बर 4 टी.एल.डबल्यू के पत्थर नम्बर 231/285(15) किला नम्बर 6/2/0.190 प्रतिवादीया संख्या 2 मनजीत कौर, पत्थर नम्बर 231/285(15) किला नम्बर 7/0.253 प्रतिवादी संख्या 1 गुरदेव सिंह एवं पत्थर नम्बर 231/285(15) किला नम्बर 8/2/0.190 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 3 प्रगटसिंह काउन्टर क्लेमकर्ता के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर चक नम्बर 4 टी. एल.डबल्यू के खाता संख्या 73/74 मे से नन्दुमल का हिस्सा कम किया जाता है तो मुझ प्रतिवादीया को कोई ऐतराज नही है। इसी अनुसार हमारा आपस में राजीनामा हो गया है व मैं प्रतिवादीया राजीनामा से पूर्णतया सहमत हूं। जबाबदावा के साथ पक्षकारान की आई. डी. की फोटो प्रतियां पेश की गई। वादी द्वारा साक्ष्य के रुप में अपने शपथ पत्र, पैतृक सम्पति बाबत जमाबन्दी आदि पेश किये गये व दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये, जो शामिल पत्रावली किये गये।

वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि का आपसी राजीनामा हो चुका है एवं वाद में प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा सहमति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र में वर्णित आराजी जवाबदावा के अनुसार प्रतिवादी के नाम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उभयपक्षकारान द्वारा मुताबिक जवाबदावा वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वादी का वाद पूर्णतया साबित है। मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दी, जवाबदावा, शपथ पत्र साक्ष्य व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त आराजी नन्दुमल के नाम से दर्ज है। पत्रावली में वादी द्वारा जो दस्तावेज जमाबन्दीयां प्रस्तुत की गई है उन दस्तावेजो के आधार पर वादी का वाद साबित है। प्रतिवादीया द्वारा वादी के वाद का कोई विरोध नही किया गया है व मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक जवाबदावा व प्रस्तुत दस्तावेजात, सहमति के आधार पर वाद वादी साबित करने में सफल रहे वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.02 11:04:05 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
डिब्बी

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.02 11:04:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner